बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ०सं० :– 3/अ०प्र०–1–67/2011 914 /पटना, दिनांक :– 14.5.2020

चूँकि बिहार सरकार को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि श्री संजय कुमार, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा सम्प्रति सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, औरंगाबाद के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा के अधीन प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत दैंता बांध से पवैया ग्राम तक पथ निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गयी है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में अर्न्तविष्ट है। इसलिये बिहार सरकार ने आदेश दिया है कि श्री संजय कुमार, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा सम्प्रति सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, औरंगाबाद के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अशोक कुमार मिश्रा, मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री अजीत कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–1 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री संजय कुमार, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा सम्प्रति सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, औरंगाबाद से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस अधिसचना की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Sd/- 12/5/2020

(संजय दूबे)

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–67/2011 915 (अनु) /पटना, दिनांक :– 14.5.2020

प्रतिलिपि :– आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ मुख्य अभियंता–1 ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अविलम्ब विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय तथा 45 (पैंतालीस) दिनों के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा कार्यवाही अभिलेख सरकार को समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु० :– यथोक्त।

Sd/- 12/5/2020

अपर सचिव

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:**Secartary rwd bihar@gmail.com,** & secy-reo-bih@nic.ir

ज्ञापांक :–3/अ०प्र०–1–67/2011 915(ग्रा०) /पटना, दिनांक :– 14.5.2020

प्रतिलिपि :– आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री अजीत कुमार, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–1 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना –सह– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री संजय कुमार, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा सम्प्रति सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु० :– यथोक्त।

12/5/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–67/2011 915(ग्रा०) /पटना, दिनांकः– 14.5.2020

प्रतिलिपिः– ~~प्रधान~~ सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन/संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, औरंगाबाद/प्रशाखा पदाधिकारी–6 एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/5/2020

अपर सचिव

483

बिहार सरकारी सेवकों के विरूद्ध आरोप पत्र का गठन विनियमावली 2017 के आलोक में श्री संजय कुमार, सहायक अभियंता के विरूद्ध आरोप पत्र का गठन।

भाग–1– आरोपित सेवक से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएँ

आरोप पत्र

1. नाम :– श्री संजय कुमार
2. पदनाम :– सहायक अभियंता
3. जन्म तिथि :– 22.12.1973
4. सेवानिवृति की तिथि :– 31.12.2033
5. सेवा/संवर्ग का नाम :– बिहार अभियंत्रण सेवा
6. पद समूह एवं विभाग :– ग्रामीण कार्य विभाग
7. वरीयता क्रम/सिविल लिस्ट क्रमांक :– ....
8. वेतनबैंड एवं ग्रेड पे/वेतन स्तर :–
9. आरोप वर्ष एवं तत्कालीन पदस्थापन :– 2010–11/ ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा
10. बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत कालबाधित होने की तिथि :– लागू नहीं है

16/1/2020

(मनोज कुमार)
उप सचिव

17/1/20

(विनय कुमार)
सचिव

482

भाग–2–अवचार या कदाचार के लांछनों का सार

1. पथ का नाम – ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा के क्षेत्राधीन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्माणाधीन दैंता बाँध से पवैया ग्राम पथ की जाँच में आप निम्नलिखित आरोपों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते हैं –

(i) दैता बाँध एवं पवैया ग्राम के बीच 310 मी0 पथांश का प्राक्कलन निर्माण नहीं किया गया है जिससे पवैया ग्राम की संपर्कता दैता बाँध से नहीं हो पा रहा है। गलत प्राक्कलन निर्माण के लिए आप दोषी प्रतीत होते हैं।

(ii) पहुँच पथ नहीं होने के कारण रोड–रौलर, पानी टंकी, ट्रक इत्यादि पहुँचना मुश्किल है। पथ में जी0एस0बी0 एवं मिट्टी का कार्य विशिष्टियों के अनुरुप नहीं कराया गया है। विशिष्टियों के अनुरुप कार्य नहीं कराने के लिए आप दोषी प्रतीत होते हैं।

2. उक्त से स्पष्ट है कि श्री संजय कुमार, सहायक अभियन्ता द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक नहीं किया गया है। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम–3(1) का उल्लंघन है।

16/1/2020

(मनोज कुमार)
उप सचिव

(विनय कुमार)
सचिव

भाग–3–अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन

1. ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा के क्षेत्राधीन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्माणाधीन दैंता बाँध से पवैया ग्राम पथ की जाँच दिनांक–24.03.2011 को अधीक्षण अभियन्ता, उड़नदस्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा की गयी।
2. प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आप निम्न आरोपों के लिये प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते हैं –
   (i) दैता बाँध एवं पवैया ग्राम के बीच 310 मी0 पथांश का प्राक्कलन निर्माण नहीं किया गया है जिससे पवैया ग्राम की संपर्कता दैता बाँध से नहीं हो पा रहा है। गलत प्राक्कलन निर्माण के लिए आप दोषी प्रतीत होते हैं।
   (ii) पहुँच पथ नहीं होने के कारण रोड–रौलर, पानी टंकी, ट्रक इत्यादि पहुँचना मुश्किल है। पथ में जी0एस0बी0 एवं मिट्टी का कार्य विशिष्टियों के अनुरुप नहीं कराया गया है। विशिष्टियों के अनुरुप कार्य नहीं कराने के लिए आप दोषी प्रतीत होते हैं।
3. उक्त से स्पष्ट है कि श्री संजय कुमार, सहायक अभियन्ता द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक नहीं किया गया है। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम–3(1) का उल्लंघन है।

16/1/2020

(मनोज कुमार)
उप सचिव

17/1/20

(विनय कुमार)
सचिव

भाग–4–(क) साक्ष्यों/दस्तावेजों की सूची

क्र०	संबंधित पत्र/अभिलेख	पृष्ठों की संख्या
1.	अधीक्षण अभियन्ता, उड़नदस्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–51(मु0) अनु0 दिनांक– 31.03.2011	कुल– 3 पृष्ठ

16/1/2020

(मनोज कुमार)
उप सचिव

17/1/20

(विनय कुमार)
सचिव

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
उड़नदस्ता प्रधान सचिव कोषांग
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना

पत्रांक : 51 (उ0) अनु0 पटना/दिनांक : 31/3/11

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता

उड़नदस्ता।

सेवा में,

विशेष सचिव,

ग्रामीण कार्य विभाग,

बिहार, पटना।

विषयः—प्रखंड—पपरिया, पंचायत—सैदपुरा के अन्तर्गत दैता रोड से पदैया और T03 रोड से पवैया में अनियमितता बरती जाने के संबंध में।

प्रसंगः— आपका पत्रांक—2896 अनु0, दिनांक 07.03.2011

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रांसगिक पत्र के आलोक में लखीसराय जिला के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन दैता रोड से पवैया और T03 रोड से पवैया पथ का जाँच प्रतिवेदन के साथ संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित प्राक्कलन, मापी—पुस्तिका एवं एकरारनामा की छाया प्रति संलग्न कर आपके पास आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित किया जाता है।

अनु0 :— यथोक्त।

विश्वासभाजन

31/3/11

अधीक्षण अभियंता।
उड़नदस्ता प्रधान सचिव कोषग

विशेष सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग
डायरी सं0 1101
दिनांक 01/4/11

04/04/11

640
4/4/11

9841/803
4.4.11

1.4.11

04.04.2011

विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2896 अनु0, दिनांक 07.03.2011 के आलोक में कार्य प्रमंडल, शेखपुरा के अन्तर्गत परिवाद पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन

शिकायत कर्ता का नाम :– श्री मोहन कुमार,
ग्राम +पो0 :– पवैय,
प्रखंड :– पिपरिया,
जिला :– लखीसराय।

मुख्य आरोप :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत लखीसराय जिला के अधीन T03(L001) से ग्राम पवैय (L024) पैकज संख्या– BR-19R-77 एवं दैता बाँध से पवैय पैकज संख्या– BR-19R-073 दोनो योजनाएँ एक ही स्थल पर स्वीकृत हैं। एक योजना का कार्य दैता बाँध से जैजबारा गाँव तक तो दूसरी योजना पवैया गाँव से पवैया गाँव तक। पवैया गाँव का सम्पर्कता अभी भी अधूरा है।

(1) निरीक्षण की तिथि :– 24.03.11
योजना का नाम :– दैता बाँध से पवैया ग्राम
मद :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना BR-19R-073
पथ की लम्बाई :– 645 मीटर
प्रशासनिक स्वीकृत की राशि :– _____
तकनीकी स्वीकृत की राशि :– 26.23 लाख
एकरारनामा सं0 एवं राशि :– 28 PMGSY/09-10

Construction Cost :- Rs 24.963 लाख
Maintaince Cost :- Rs 1.275 लाख
Total cost :- Rs 26.238 लाख

कार्य प्रारंम्भ की तिथि :– 30.10.09
कार्य समाप्ति की तिथि :– 29.10.10
अब तक भुगतान की गई राशि :– रू0 8.68975 लाख, (24.01.11)
संवेदक का नाम :– श्री दिनेश कुमार सिंह
बडहिया, लखीसराय।
वर्तमान पथ की स्थिति :– पूरी लम्बाई में WBM ग्रेड III स्तर तक कार्य।
स्टेज पासिंग प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है या नहीं :– नहीं।
निरीक्षण के समय उपस्थित कार्यपालक अभियंता :– युसुफ जफर
सहायक अभियंता :– श्री संजय कुमार
कनीय अभियंता :– श्री फूल नारायण झा
प्राक्कलन तैयार करने वाले सहायक अभियंता :– श्री संजय कुमार
कनीय अभियंता :– श्री नन्द किशोर शर्मा

पथ के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि दैता बाँध से पवैया ग्राम की कुल लम्बाई करीब 645+310+835 अर्थात 1790 मीटर है। परन्तु बिषयांकित योजना का प्राक्कलन मात्र 645 मीटर का तैयार कर निर्माण किया जा रहा है, जिससे पवैया ग्राम की सम्पकर्ता नहीं होती है। इस योजना से जैजबारा ग्राम मात्र तक संपकर्ता होती है। जैजबारा ग्राम से आगे करीब 310 मीटर निजी भूमि होने के कारण इससे आगे कार्य कराना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। दैता बाँध से पवैय ग्राम तक नामकरण गलत तरीके से अंकित कर प्राक्कलन तैयार करने हेतु मुख्य रूप से संबंधित कनीय/सहायक अभियंता को दोषी माना जा सकता है।

पथ के निरीक्षण के क्रम में प्रारम्भ में साईन बोर्ड एवं Citizen Board पाया गया, परन्तु पथ मे कि0मी0, 200 मीटर पोस्ट Temporary Bench Marks/ Reference pillar इत्यादि नहीं पाया गया, जब कि प्रारम्भिक मिट्टी कार्य के बाद अति आवश्यक था। पथ में WBM ग्रेड III स्तर तक कार्य किया जा चुका है।

31.3.2011

31/03/2011

31/3

पथ के निरीक्षण के क्रम में प्रारम्भ में साईन बोर्ड एवं Citizen Board पाया गया, परन्तु पथ मे कि0मी0, 200 मीटर पोस्ट Temporary Bench Marks/ Reference pillar इत्यादि नहीं पाया गया, जब कि प्रारम्भिक मिट्टी कार्य के बाद अति आवश्यक था। पथ में WBM ग्रेड III स्तर तक कार्य किया जा चुका है। स्थल पर प्रयोगशाला स्थापित किया हुआ नहीं पाया गया। आवश्यक पोस्ट Reference pillar के अभाव में स्थल पर Location भी सही तरह से पता नहीं चल पा रहा था तथा निरीक्षण के क्रम में क्षेत्रीय पदाधिकारी भी स्थल पर Location की जानाकारी सही–सही नहीं दे पा रहे थे।

पथ में मिट्टी कार्य फ्लैंक, स्लोप में आंशिक रूप से पाया गया जो प्राक्कलन के अनुरूप Formation width एव Base width नहीं था।

(2) योजना का नाम :– T03 (L001) से पवैय (L024) ग्राम।
मद :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (BR-19R-77)
पथ की लम्बाई :– 835 मीटर
प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :– ______
तकनीकी स्वीकृति की राशि :– 30.31 लाख
एकारानामा सं0 एवं राशि :– 59 PMGSY/09–10
Construction Cost :- Rs 27.6044 लाख
Maintaince Cost :- Rs 2.70652 लाख
Total cost :- Rs 30.31092 लाख
कार्य प्रारम्भं की तिथि :– 30.10.09
कार्य समाप्ति की तिथि :– 29.10.10
अब तक भुगतान की गई राशि :– रू0 4.22556 लाख, दिनांक 24.01.2011
संवदेक का नाम :– श्री दिनेश कुमार सिंह
बड़हिया, लखीसराय।
वर्तमान पथ की स्थिति :– प्राक्कलन के अनुसार कुछ लम्बाई छोड़कर शेष लम्बाई में GSB स्तर तक सामग्रियों की बिछाई की गई है।
स्टेज पासिंग प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है या नहीं – नहीं।
निरीक्षण के समय उपस्थित कार्यपालक अभियंता :– युसुफ जफर
सहायक अभियंता :– संजय कुमार
कनीय अभियंता :– श्री फूल नारायण झा
प्राक्कलन तैयार करने वाले सहायक अभियंता :– श्री संजय कुमार
कनीय अभियंता :– श्री नन्द किशोर शर्मा

उपर्युक्त योजना के कार्य स्थल पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इस पथ में जाने के लिए कोई भी पहुँच पथ भी नहीं है। T03 (दैता बाँध) के रेलवे लाईन के बगल होते हुए खेत एवं लिक होकर किसी प्रकार कार्य स्थल पर पहुँच पाया गया। इस स्थान पर आवश्यक यंत्र–संयत्र, रोड–रौलर, पानी टंकी, ट्रक इत्यादि लाना मुश्किल है। रौलर नहीं उपलब्ध होने के कारण कार्य स्थल पर किये गये मिट्टी कार्य एवं बिछाये गये GSB की चपाई भी नहीं हुआ होगा जिसे कार्य को विशिष्टयों के अनुरूप नहीं माना जा सकता है। इस तरह के योजना को स्थगित करते हुए कराये गये कार्य को अमान्य किया जा सकता है। इस तरह की योजना का संम्पकर्ता एवं उपयोगिता नहीं है। इसके लिए मुख्यतः प्राक्कलन बनाने वाले सहायक/कनीय अभियंता को दोषी माना जा सकता है। उपर्युक्त दोनो योजनाओं का LINE SKETCH भी सुलभ आवलोकन हेतु जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जा रही है।

31.3.2011 31/03/2011 31/3

दोनो योजनाओं पर समेकित मंतव्यः–

(1) परिवाद पत्र में उल्लेखित तथ्य कि दोनो योजनाएँ एक ही स्थल पर है, सही है। दोनो योजना का प्राक्कलन पवैय ग्राम को जोडने के लिए बनाने के बाद भी पवैय ग्राम की सम्पकर्ता मुख्य सड़क से नहीं हुआ है, प्रमाणित होता है। जिसके लिए मुख्य रूप से गलत प्राक्कलन बनाने वाले कनीय/सहायक अभियंता को दोषी माना जा सकता है।

(2) एक योजना (दैता बाँध से पवैय ग्राम) की संम्पकर्ता जैजबारा ग्राम तक हो रही है, जो उपयोगी माना जा सकता है, परन्तु पथ का नामकरण गलत अंकित किया गया है। दूसरी योजना (T03से पवैय ग्राम) की सम्पकर्ता मुख्य पथ से नहीं हो रही है मात्र पवैय ग्राम में ही कार्य किया जा रहा है। दोनो योजनाओं का नामकरण गलत करने, एक ही स्थल को तोडकर प्राक्कलन बनाने/स्वीकृति करने वाले अभियंताओं को दोषी माना जा सकता है।

(3) T03 से पवैय ग्राम योजना, जिस स्थल पर बिना यंत्र–संयत्र रौलर इत्यादि का उपयोग बिना कार्य किये जाने हेतु मुख्यतः संवेदक एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दोषी माना जा सकता है।

(4) विशिष्टयों के अनुरूप कार्य नहीं होने के कारण गुणवता में कमी के साथ–साथ वित्तिय क्षति माना जा सकता है, जिसके लिए मुख्यतः संवेदक एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों को दोषी माना जा सकता है।

31.3.2011
(जब्बार अंसारी)
सहायक अभियंता
उड़नदस्ता, ग्राम का0 वि0
पटना

31/03/2011
(मुरलीधर प्रसाद)
सहायक अभियंता
उड़नदस्ता, ग्राम का0 वि0
पटना

31/3
(अनिल कुमार)
अधीक्षण अभियंता
उड़नदस्ता, ग्राम का0 वि0
पटना